



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-21072025-264849
CG-CG-E-21072025-264849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3257]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19, 2025/आषाढ़ 28, 1947

No. 3257]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 2025/ASHADHA 28, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 15 जुलाई, 2025

का.आ. 3330(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश के लिये संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण सलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंड्रा रोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु उड़ीशा, छत्तीसगढ़ एवम् महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है एतद द्वारा अधिग्रहण करने के आशय की घोषणा करती है। उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी यानी अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) अकलतरा एवं अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) चाम्पा, जिला जाँजगीर -चाम्पा, छत्तीसगढ़ को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेप कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो तो करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुगत या अननुगत कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन एवं अन्य व्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-गेवरा रोड, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर और रायपुर-लखोली के मध्य में मौजूदा 1x25KV ट्रेक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2x25 KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना रहित या सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण –

जिला- जाँजगीर चाम्पा					राज्य - छत्तीसगढ़				
क्र	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का न०	भू स्वामी का नाम	किस्म	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) चाम्पा, जिला - जाँजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़	चाम्पा	शिवनी	प.ह.न. 02	नरोत्तम पिता नन्द बाबा	कृषि	2231/1	0.101	0.101
					शिवप्रसाद वगैरह	कृषि	2231/4	0.117	0.020
					मंगलचंद पिता नन्द बाबा	कृषि	2231/5	0.101	0.014
					शिवप्रसाद वगैरह पिता लहाराम	कृषि	2231/6	0.291	0.034
					दिलीप कुमार पिता नन्द बाबा	कृषि	2231/7	0.101	0.101
					नेतराम पिता धनाव देवांगन	कृषि	2230/7	0.210	0.042
					कुल			0.921	0.312
2.	अनुबिभागीय अधिकारी (रा०) अकलतरा, जिला - जाँजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़	अकलतरा	अकलतरा	प.ह.न. 14	चन्द्रशेखर, रोहित कुमार, प्रेम नारायण, उमाशंकर पिता कृपाशंकर	निजी भूमि	202 (शामिल Kh.No 205, 207)	1.841	0.137
					चन्द्रशेखर, रोहित कुमार, प्रेम नारायण, उमाशंकर पिता कृपाशंकर	निजी भूमि	206	0.73 6	0.069
					कुल			2.577	0.206

[फा. सं. सीपीएम/इले/2x25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./ 20 A/1007]

मुदित भटनागर, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(S.E.C.RAILWAY)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 15 July, 2025

S.O.3330(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa – Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh and Maharashtra over SEC railway, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 20 (D) of the said act.

Every objection shall be made to the competent authority namely, Sub Divisional Magistrate (Revenue) Akaltara and Sub Divisional Magistrate (Revenue) Champa, Chhattisgarh in writing and shall set out grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of section 20 (D) of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa- Gevra Road, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur & Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Chhattisgarh.

District- Champa-Janjgir					State- Chhattisgarh				
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Patwari halka No.	Nature of ownership	Nature of land	Land khasra no.	Total area (in Hec)	Area to be acquired (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SDM (Rev) Champa (Distt. – Janjgir- Champa), Chhattisgarh	Champa	Sivni	P.H.No. 02	Narottam Pita Nand Baba	Krishi	2231/1	0.101	0.101
					Shivprasad wagairah Pita Lahaaram	Krishi	2231/4	0.117	0.020
					Mangalchand Pita Nand Baba	Krishi	2231/5	0.101	0.014
					Shivprasad wagairah Pita Lahaaram	Krishi	2231/6	0.291	0.034
					Dileep Kumar Pita Nand Baba	Krishi	2231/7	0.101	0.101
					Netram Pita Dhanaw Dewangan	Krishi	2230/7	0.210	0.042
					Total			0.921	0.312

2.	SDM (Rev) Akaltara (Distt. – Janjgir- Champa), Chhatisgarh	Akaltara	Akaltara	P.H. No. 14	Chandrashekhar, Rohit Kumar, Prem Narayan, Umashankar Pita Kripashankar	Niji Bhumi	202 (Shamil Kh.No 205, 207)	1.841	0.137
					Chandrashekhar, Rohit Kumar, Prem Narayan, Umashankar Pita Kripashankar	Niji Bhumi	206	0.73 6	0.069
					Total			2.577	0.206

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 A/1007]

MUDIT BHATNAGAR, Principal Chief Engineer